3861

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि0 13149–I–15

प्र0क्र0 R ....I / 15–16 निगरानी

दिनांक 18-11-15 को श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभि0 द्वारा प्रस्तुत।
18-11-15
S.D

18/11/15

विध्यादेवी पत्नी शान्तीलाल जाति ब्राहम्ण डण्डोतिया निवासी लालौर तह0 व जिला मुरैना

..........................आवेदक

बनाम

1–श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी गोपालसिंह

2–श्रीमती अंगूरीदेवी पत्नी बलबीर

3–श्रीमती शीलादेवी पत्नी राधेश्याम

समस्त जाति डण्डोतिया

4–हुकमसिंह पुत्र मंगला

5–रामजीलाल पुत्र मंगला

6–बीरबल पुत्र मंगला

7–पुन्ना पुत्र भगरी

समस्त जाति काछी (कुशवाह)

8–रामरती पत्नी राजाराम

9–कालीचरन पुत्र राजाराम

10–छविराम राजाराम

समस्त जाति तेली

निवासी ग्राम लालौर तह0 व जिला मुरैना

11–तत्कालीन पटवारी मौजा लालौर

......................अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 12/10/2012

न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक नामान्तरण पंजी क्र0 473 दिनांक 25/09/2012 एवं ठहराव.प्रस्ताव क्र0 4 दिनांक 12/10/2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम लालौर तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि खाता क्र0 682/2068 , खाता क्र0 683/2168 के आवेदक व अनावेदक क्र0 1 लगायत 10 सह स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2– यह कि अनावेदक द्वारा बटबारा हेतु आवेदन पत्र पटवारी मौजा को प्रस्तुत किया गया जा नामान्तरण पंजीक्र0 473 दिनांक 05/09/2012 पर पंजीबद्व किया जाकर ग्राम पंचायत ठहराव क्र0 4 आदेश दिनांक 12/10/2012 द्वारा अबैध रूप से बगैर आवेदक को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बटबारा आदेश पारित कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

निगरानी के आधार–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अबैध होकर निरस्तनीय है।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिस्से के अनुसार बटबारा नहीं किया। रकवा का असमान बटबारा किया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अबैध होकर निरस्तनीय है।

4– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत इस्तहार जारी नहीं किये बटबारा में प्रारूप के अनरूप इस्तहार व तामील जारी नहीं की जो कि कानूनन आवश्यक था जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अबैध होकर निरस्तनीय है।

5– यह कि आवेदिका द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटबारा सहमति बाबत कोई [illegible] बनाये गये है वह फर्जी है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3749-दो/15 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	